# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 22/2019 (राजस्व अपील)
RCMS No. 2019/00039

**अनवान**

1. श्री भामा पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तह. सलुम्बर, जिला उदयपुर।
2. श्री धन्ना पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तह. सलुम्बर, जिला उदयपुर।
3. श्री रूपा पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तह. सलुम्बर, जिला उदयपुर।
4. श्री वना पिता पूंजा मेघवाल, निवासी सराड़ी, तह. सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— अपीलान्ट्स

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट

**उपस्थित**

1. श्री नरपतसिंह चुण्ड़ावत, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

**अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956**
**अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, प्र.स. 31/2019 दिनांक 13.08.2019**

## * निर्णय *

दिनांक— 17-01-2020

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर निर्णय दिनांक 13.08.2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा एकलव्य नगर (सराड़ी), तहसील सलुम्बर की आराजी संख्या 3881, 3882 रकबा क्रमशः 0.0100 हेक्टेयर, 0.2200 हेक्टेयर बाबत् तहसीलदार सलुम्बर ने अपीलान्ट्स के विरूद्ध धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 13.08.2019 को पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट्स अनुसूचित जाति का व्यक्ति होकर भूमिहीन व्यक्ति है एवं उनके परिवार का पालन पोषण कृषि पर आधारित हैं। अपीलाधीन भूमि साबिक आराजी संख्या 1980 एवं 1982 जिनके वर्तमान नम्बर 3881, 3882 बने है मे से सवा दो बीघा भूमि पर अपीलान्ट्स एवं उनके स्व. पिता श्री पूंजा का कब्जा वर्ष 1967 से है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि पर अपीलान्ट्स एवं उनके पिता का पुराना कब्जा होने से उक्त भूमि को अपने नाम पर नियमन कराने का अपीलान्ट्स अधिकारी हैं। अपीलान्ट्स एवं उनके पिता द्वारा भारी लागत लगाकर भूमि को आबादान किया है। सन् 1977 मे ग्राम पंचायत सराड़ी द्वारा श्री पूंजा को उपरोक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस दिया था, जिससे उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के पिता का कब्जा सन् 1970 से पूर्व का साबित होता हैं। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट्स के पिता के विरूद्ध सन् 1991 मे प्रकरण संख्या 401/1991 चला, जिसके निर्णय दिनांक 12.12.1991 मे तहसीलदार

सलुम्बर ने अपीलान्ट्स के पिता का कब्जा सन् 1970 से पूर्व का मानते हुए उपरोक्त भूमि अपीलान्ट्स के पिता के नाम नियमन करने की सिफारिश करते हुए प्रकरण को नियमन कमेटी के अध्यक्ष उप जिला कलक्टर सलुम्बर को प्रेषित किया है। तहसीलदार सलुम्बर द्वारा की गई नियमन की सिफारिश मे ग्राम पंचायत की अनापत्ति का भी विवरण हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि को अपीलान्ट्स के पक्ष मे नियमन करने मे कोई विधिक बाधा नहीं है। इसलिये उक्त भूमि अपीलान्ट्स के पक्ष मे नियमन करने हेतु तहसीलदार सलुम्बर को निर्देशित करना आवश्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 को निरस्त किया जावे एवं भूमि अपीलान्ट्स के पक्ष मे नियमन करने हेतु नियमन कमेटी के समक्ष रखने हेतु तहसीलदार सलुम्बर को निर्देशित करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं प्रकरण मे पृथक से जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु अनुरोध किया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार सलुम्बर द्वारा प्रकरण से संबंधित मूल पत्रावली संख्या 31/2019 प्राप्त होने पर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारंभ करते हुए अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित आदेश को विधि विरूद्ध बताया एवं अपीलान्ट्स के पिता का पुराना सन् 1970 से पूर्व का कब्जा होना, अपीलान्ट्स का भूमिहीन होना, प्रकरण पूर्व मे तहसीलदार द्वारा नियमन कमेटी के समक्ष भेजा जाना, नियमन कमेटी द्वारा पत्रावली पर कोई निर्णय न करना आदि आधारों पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर कब्जा नियमन करने हेतु अनुरोध किया।

बहस मे भाग लेते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मौजा सराड़ी, तहसील सलुम्बर की हाल आराजी संख्या 3881 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 3882 रकबा 0.2200 हेक्टेयर, किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा नाजायज कब्जा करने की रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे प्राप्त होने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान किया है, जो नियमानुसार हैं। भूमि की किस्म चारागाह है एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसी भूमियों पर किये जाने वाले आवंटन को अवैध माना हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि का नियमन अपीलान्ट्स के पक्ष मे नहीं किया जा सकता है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जावें एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उनमे वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण राजस्व ग्राम सराड़ी की आराजी संख्या 3881 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 3882 रकबा 0.2200 हेक्टेयर किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट्स द्वारा अतिक्रमण करने से संबंधित है, जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का

से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पर्याप्त सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त अपीलान्ट्स को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये हैं। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स का पुराना कब्जा होना व पूर्व मे तहसीलदार द्वारा नियमन हेतु प्रस्ताव भेजे जाने का उल्लेख किया है, किन्तु मामले मे यह उल्लेखनीय है कि भूमि की किस्म चारागाह हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प. 10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट्स को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर, जिला उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.08.2019 को यथावत रखा जाता है। साथ ही तहसीलदार सलुम्बर को निर्देश प्रदान किये जाते है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि चारागाह भूमि पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे एवं भविष्य मे भी बिलानाम राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(ओ.पी. बुनकर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2020.01.22 17:06:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: